न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बालेसर(जोधपुर)

पीठासीन अधिकारी :–श्रीरामजी भाई कलबी, आर.ए.एस.
मुकदमा नम्बर 149/1993
आरसीएमएस नम्बर :–1993/00001

वादीगण

1. भंवरलाल पुत्र रामू के कायम मुकाम
   1/1 भोमाराम पुत्र भवंरलाल
   1/2 जयकुमार पुत्र भंवरलाल
   1/3 अनिता पुत्री भंवरलाल
   1/4 उषा पुत्री भवंरलाल सभी निवासी ग्राम कनोडिया पुरोहितान तहसील सेखाला जिला जोधपुर हाल सीप हाउस जोधपुर

बनाम

प्रतिवादीगण

1. आसुराम के कायम मुकाम
   1/1 केसूकंवर बेवा आसूराम
   1/2 जानकी पुत्री आसूराम
2. चम्पाराम पुत्र गेनाराम
3. भवरी बेवा गेनाराम
4. सांगाराम पुत्र आसूराम
5. घेवरराम पुत्र आसूराम
6. भगवान राम उर्फ भागीरथ पुत्र आसूराम
7. बुधाराम उर्फ उदाराम पुत्र आसूराम निवासी कनोडिया पुरोहितान तहसील सेखाला जिला जोधपुर
8. अमानाराम पुत्र बस्तीराम
9. बस्तीराम पुत्र कानाराम निवासी लवारन तहसील सेखाला जिला जोधपुर
10. तहसीलदार सेखाला जिला जोधपुर

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :–
1. वादी अधिवक्ता श्री हनवन्तसिंह, रविन्द्र सिंह उपस्थित।
2. प्रतिवादीगण 1 से 7 अधिवक्ता श्री जगदीश प्रजापत
3. प्रतिवादी संख्या 8 से 9 स्वंय उपस्थित।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बालेसर

–:: निर्णय ::–

दिनांक:– 28/5/24

पत्रावली प्रस्तुत हुई। वादी अधिवक्ता द्वारा एक वाद पत्र अन्तर्गत वाद बाबत् खातेदारी घोषणा का पेश किया था जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है:–

वादग्रस्त आराजी मौजा लवारन के [illegible] खसरा नम्बर 93 रकबा 11 बिस्वा, खसरा नम्बर 114 रकबा 20 बीघा एवं खसरा नम्बर [illegible] रकबा 109.06 बीघा भूमि सिमरथाराम के नाम आधा हिस्सा एवं आधा हिस्सा [illegible] ने उपरोक्त खेतों का नामान्तकरण 1/2 का नामान्तकरण [illegible] नाम का करवा दिया गया जिस पर वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 6 ने उपरोक्त नामान्तकरण को खारिज करवाने हेतु अपील पेश की जो बमुकदमा दिनांक 21.02.1985 को खारिज की गई जिस पर वादीगण एवं प्रतिवादीगण 1 से 6 ने एक अपील एडिशनल कमीशनर जोधपुर मे पेश की जो बमुकदमा नम्बर 358/1983 दिनांक 24.07.1990 को स्वीकार की गई और मुकमदा रिमाण्ड किया गया। उपरोक्त नामान्तकरण दिनांक 26.12.1991 को मंसूख किया तहसीलदार शेरगढ ने वाद तहकीकात कर वादीगण का नाम बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज नही किया गया जिसका वादीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramji Bhai Kalbi
Date: 2024.06.14 11:50:19 IST
Reason: SelfAttested

भवंरलाल व रूपाबाई भी हकदार है। महज प्रतिवादीगण 1 से 6 एवं 8 के पक्ष मे नामान्तकरण व खातेदार नामान्तकरण संख्या 264 दिनांक 26.12.1991 को कर दिया गया। वादीगणों द्वारा उक्त वादग्रस्त आराजी मे सिमरथाराम के पुत्र के रूप मे खातेदारा घोषित करने हेतु अनुरोध किया गया है।

वाद को दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर प्रतिवादीगणों को नोटिस जारी किया गया है।प्रतिवादी संख्या 8 अमानाराम द्वारा जवाबदावा सहमति का पेश कर वादीगणों का वाद स्वीकार करने हेतु अनुरोध किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 से 6 (प्रतिवादी संख्या 7 भी शामिल) ने जवाबदावा न्यायालय मे पेश किया गया जिसके संक्षेप तथ्य इस प्रकार है :—

सिमरथाराम के एक पुत्र गेनाराम था। वादग्रस्त आराजी मे आधा हिस्सा सिमरथाराम का एवं आधा हिस्सा बस्तीराम पुत्र कानाराम का था। अमानाराम ने फर्जी एवं गलत तौर अपने आपको सिमरथाराम का अकेला पुत्र बता कर राजस्व कर्मचारियों एवं सरपंच से मिलावत करके फौतदगी का नामान्तकरण अपने नाम से दर्ज करवा दिया गया जबकि अमानाराम सिमरथाराम का जायन्दा पुत्र नही था। वह बस्तीराम का पुत्र है। जबइस गलत इन्द्राज का प्रतिवादीगणा संख्या 1 से 6 को जानकारी हुई तब यह गहत इन्द्राज के आधार पर किये नामान्तकरण को निरस्त करने के लिए अपील को अतिरिक्त डिवीजनल कमीशनर द्वारा स्वीकार की गई एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 6 का नाम राजस्व रेकर्ड मे अमल दरामद किया गया। वादग्रस्त भूमि के आधे भाग पर प्रतिवादी संख्या 1 से 6 का कब्जा एवं काश्त है। वादी का इस भूमि मे कोई हक हिस्सा नही है और न ही वादीगण का कब्जा एवं काश्त है। वादीगण सिमरथाराम के उत्तराधिकारी नही है बल्कि भंवराराम का पिता रामूराम, अणदाराम का लडका है। रामूराम अपने पिता के जीवनकाल मे ही जोधपुर आकर रहने लग गया था एवं यहा पर ही उसका देहान्त हो गया था उनकी पत्नी रूपीदेवी दुलाराम जाट के साथ पत्नी के तौर पर रहने लग गये थी जो अभी भी दुलाराम के मकान जोधपुर मे रहती है। वादी भंवराराम का जन्म दुलाराम से हुआ है। इस प्रकार का वादी भंवरराम दुलाराम का लडका है इसलिए वादी घोषणा एवं बंटवाडा करवाने का अधिकारी नही है।

पत्रावली मे तनकीयात कायम करते हुए साक्ष्य शपथ पत्र शामिल मिसल किये गये। अधिवक्ता प्रतिवादी द्वारा उक्त पत्रावली मे लिखित बहस पेश की गई जिससे शामिल मिसल किया गया। पत्रावली मे वादी अधिवक्ता की बहस सूनी की गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं बहस पर मनन किया गया। पत्रावली मे प्रस्तुत दस्तावेजों को परीशीलन किया गया। वादी अधिवक्ता द्वारा अपने वाद पत्र मे अंकित किया गया है कि वादग्रस्त आराजी सिमरथाराम के नाम से 1/2 हिस्सा दर्ज था। प्रतिवादी अमानाराम द्वारा गलत तरीके से नामान्तकरण अपने नाम दर्ज करवाते हुए 1/2 हिस्सा स्वय के नाम करवा दिया गया था जिसको अपील कोर्ट मे चुनौती दी गई थी एवं अपील कोर्ट द्वारा नामान्तकरण को अपास्त करते हुए तहसीलदार शेरगढ को रिमाण्ड की गई। उक्त वाद को मुख्य बिन्दु यह है कि क्या वादीगण सिमरथाराम के पुत्र रामुराम के पुत्र है या नही। न्यायालय हाजा द्वारा वाद पत्र के संलग्न न्यायालय अतिरिक्त डिवीजनल कमिश्नर जोधपुर मे दायर मुकदमा नम्बर 385/1988 मे पारित निर्णय दिनांक 24.07.1990 का अवलोकन किया गया। उक्त अपील प्रतिवादी संख्या 1 से 6 एवं वादीगणों द्वारा पेश की गई जिसमे प्रतिवादीगणों द्वारा यह माना गया कि सिमरथाराम के तीन लडके श्री गेनाराम, लालूराम एवं रामूराम थें। उक्त निर्णय मे यह भी अंकित किया गया है कि ग्राम पंचायत देडा पंचायत समिति बालेसर द्वारा प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया जिसमे यह अंकित किया है कि [illegible] लालूराम एवं रामूजी थें। लालूराम बिना औलाद के गुजरे एवं रामूजी का एक ल[illegible]ल है एवं श्री गेनाराम के लडके आसाराम, चम्पाराम, सांगाराम, बुधाराम [illegible] द्वारा अपने [illegible]दावा मे यह अंकित किया गया है कि [illegible] नही है जबकि भंवराराम दुलाराम [illegible] लडका है। इस तथ्य को सिद्व करने के सम्बन्ध [illegible]तिवादीगणों द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत [illegible] किया गया हैं। प्रतिवादी अमानाराम द्वारा अपना जवाब सहमति का पेश किया गया है।

अतः उक्त समस्त विवेचन से यह सिद्व होता है कि श्री सिमरथाराम के तीन पुत्र [illegible]राम, [illegible]लूराम एवं रामूजी थे। लालूराम लाऔलाद फौत हो चुके थे। वादग्रस्त आराजी के [illegible] मे वादीगणों एवं प्रतिवादीगणो द्वारा माननीय न्यायालय अतिरिक्त डिवीजनल कमिश्नर जोधपुर मे अपील पेश करने पर मात्र प्रतिवादीगणो का नाम ही राजस्व रेकर्ड मे दर्ज किया गया था

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramji Bhai Kalbi
Date: 2024.06.14 11:50.19 IST
Reason: SelfAttested

इस पर वादीगणों का नाम भी राजस्व रेकर्ड मे दर्ज किया जाना चाहिए था। इस आधार पर वादीगणों का वाद स्वीकार किया जाता है एवं वादग्रस्त आराजी मौजा लवारन के खसरा नम्बर 83 रकबा 50 बीघा, खसरा नम्बर 93 रकबा 11 बिस्वा, खसरा नम्बर 114 रकबा 20 बीघा एवं खसरा नम्बर 114 रकबा 109.06 बीघा भूमि मे वादीगणो को बतौर 1/2 हिस्से मे से प्रतिवादीगणो के साथ खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार उक्त खसरों मे सिमरथाराम के पुत्र गेनाराम, लालूराम (लाओलाद फौत) एवं रामूजी के वारिसान को उनके हिस्से के अनुसार भूमि का अंकन राजस्व रेकर्ड मे करें।

फैसला आज दिनांक 29/5/24 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मोहर से जारी किया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बालेसर

(रामजी भाई कलबी)
उपखण्ड अधिकारी,
एवं उपखण्ड अधिकारी,
बालेसर

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramji Bhai Kalbi
Date: 2024.06.14 11:30:19 IST
Reason: SelfAttested

अन्तिम डिक्री व मुकददमे इब्तदाई

(ओ. 20 रू. 6–7 जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'D'-I)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बालेसर(जोधपुर)

पीठासीन अधिकारी :– श्री रामजी भाई कलबी, आर.ए.एस.

वादीगण

1. भंवरलाल पुत्र रामू के कायम मुकाम
   1/1 भोमाराम पुत्र भवंरलाल
   1/2 जयकुमार पुत्र भंवरलाल
   1/3 अनिता पुत्री भंवरलाल
   1/4 उषा पुत्री भवंरलाल सभी निवासी ग्राम कनोडिया पुरोहितान तहसील सेखाला जिला जोधपुर हाल दीप हाउस जोधपुर

बनाम

प्रतिवादीगण

1. आसुराम के कायम मुकाम
   1/1 केसूकंवर बेवा आसूराम
   1/2 जानकी पुत्री आसूराम
2. चम्पाराम पुत्र गेनाराम
3. भवरी बेवा गेनाराम
4. सांगाराम पुत्र आसूराम
5. घेवरराम पुत्र आसूराम
6. भगवान राम उर्फ भागीरथ पुत्र आसूराम
7. बुधाराम उर्फ उदाराम पुत्र आसूराम निवासी कनोडिया पुरोहितान तहसील सेखाला जिला जोधपुर
8. अमानाराम पुत्र बस्तीराम
9. बस्तीराम पुत्र कानाराम निवासी लवारन तहसील सेखाला जिला जोधपुर
10. तहसीलदार सेखाला जिला जोधपुर

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :–

1. वादी अधिवक्ता श्री हनवन्तसिंह, रविन्द्र सिंह उपस्थित।
2. प्रतिवादीगण 1 से 7 अधिवक्ता श्री जगदीश प्रजापत
3. प्रतिवादी संख्या 8 से 9 स्वंय उपस्थित।

मुकदमा नम्बर 149/1993
आरसीएमएस नम्बर :–1993/00001
निर्णय दिनांक :–28/5/24

उक्त समस्त विवेचन से यह सिद्व होता है कि श्री सिमरथाराम के तीन पुत्र गेनाराम, लालूराम एवं रामूजी थे। लालूराम लाऔलाद फौत हो चुके थे। वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध मे वादीगणों एवं प्रतिवादीगणो द्वारा माननीय न्यायालय अतिरिक्त डिवीजनल कमिश्नर जोधपुर मे अपील पेश करने पर मात्र प्रतिवादीगणो का नाम ही राजस्व रेकर्ड मे दर्ज किया गया था इस पर वादीगणों का नाम भी राजस्व रेकर्ड मे दर्ज किया जाना चाहि[illegible] आधार पर वादीगणों का वाद स्वीकार किया जाता है एवं वादग्रस्त आराजी मौजा [illegible] के खसरा नम्बर 83 रकबा 50 बीघा, खसरा नम्बर 93 रकबा 11 बिस्वा, खसरा [illegible] एवं खसरा नम्बर 114 रकबा 109.06 बीघा भूमि मे वादीगणो को बतौर 1/2 हिस्से मे [illegible] प्रतिवादीगणो के साथ खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार उक्त खसरों मे सिमरथ[illegible] के पुत्र गेनाराम, लालूराम (लाऔलाद फौत) एवं रामूजी के वारिसान को उनके हिस्से के अनुसार भूमि का अंकन राजस्व रेकर्ड

यह डिक्री तारीख 28/5/24 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(रामजी भाई कलबी)
पीठासीन अधिकारी,
एवं उपखण्ड अधिकारी, बालेसर

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramji Bhai Kalbi
Date: 2024.06.14 11:50:19 IST
Reason: SelfAttested